



2026: AHC-LKO: 21902

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 482 सं0-850/2026

रमेश कुमार वर्मा एवं 4 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं एक अन्य

.....विरोधी पक्षकार

आवेदकों के अधिवक्ता : रण विजय यादव; विजय पाल वर्मा

विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं0-16

माननीय न्यायामूर्ति श्री प्रकाश सिंह

श्री राम प्रकाश वर्मा, अधिवक्ता ने विरोधी पक्षकार सं0 2 की ओर से वकालतनामा योजित कर उपस्थिति दर्ज करायी है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रकाश वर्मा, राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से, आवेदकों ने अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, अम्बेडकर नगर के न्यायालय में लंबित एस0टी0 सं0 72/2021

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(राज्य बनाम रमेश वर्मा एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही साथ ही आरोप-पत्र सं० 85/2021 दिनांकित 23.05.2021; प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 72/2021 अन्तर्गत धारा 147, 323, 325, 504, 148, 308, 506, भा०दं०वि०, पुलिस थाना- टांडा, जनपद-अम्बेडकर नगर को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिस पर पक्षकारों के बीच समझौता दिनांकित 23.12.2025 के आधार पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा आदेश दिनांकित 03.10.2022 के माध्यम से संज्ञान लिया गया।

आवेदकों के लिए उपसंजात हो रहे विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि कुछ मिथ्याबोध के कारण प्रस्तुत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया और उसके बाद, पक्षकार एक-साथ बैठे और अपने विवाद का निपटारा किया और जिसे, समझौता-विलेख दिनांकित 23.12.2025 के रूप में लिखित में दर्ज किया गया है। अपने तर्क को जोड़ते हुए, वह प्रस्तुत करते हैं कि अब पक्षकारों ने समझौता विलेख के निष्पादन के माध्यम से अपने सभी विवादों का समाधान कर दिया है और इस प्रकार प्रस्तुत आवेदकों के विरुद्ध आगे की आपराधिक प्रक्रियाएं एक निष्फल प्रयास होंगी और आवेदकों के उत्पीड़न की कोटि की होंगी।

अपने तर्क को जोड़ते हुए, वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि इस माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांकित 03.02.2026 के माध्यम से मामले को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 482, सी०आर०पी०सी०/528, बी०एन०एस०एस० सं० 850/2026 में समझौता सत्यापन के लिए संदर्भित किया है और उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, दोनों पक्षकार निचले न्यायालय के समक्ष उपसंजात हुए हैं और समझौता विलेख दिनांकित 23.12.2025 सभी संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में सत्यापित किया गया है और सत्यापन का आदेश विद्वान अपर सत्र न्यायालय, न्यायालय सं० 1, अम्बेडकर नगर द्वारा 10.02.2026 को पारित किया गया। उन्होंने आगे जोड़ा कि अब पक्षकारों के बीच मामले में समझौता हो गया है, और इस प्रकार मामला अपराध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सं0 72/2021, अन्तर्गत धारा 147, 323, 325, 504, 148, 308, 506, भा0दं0वि0, पुलिस थाना- टांडा, जनपद-अम्बेडकर नगर से उद्भूत सत्र विचारण सं0 72/2021 की कार्यवाहियां रद्द की जा सकती हैं।

दूसरी तरफ, विरोधी पक्षकर सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विवरण का समर्थन किया है और प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकार समझौता विलेख में प्रविष्ट कर चुके हैं और अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और इस प्रकार आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही छोड़ी जा सकती है।

दूसरी तरफ, राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त तर्कों के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की उपर्युक्त प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच 23.12.2025 को समझौता हुआ है और उक्त समझौते को 10.02.2026 को सत्यापित किया गया है और, अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे पूर्वोल्लिखित मामला अपराध सं0 72/2021 से उद्भूत पूर्वोल्लिखित मामले पर बल नहीं देना चाहते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टि में, चूंकि आवेदकों और विरोधी पक्षकारों के बीच 23.12.2025 को समझौता हो गया है और कोई शिकायत करने के लिए नहीं बची है और इस प्रकार, पुनः पूर्वोल्लिखित आपराधिक मामले में आपराधिक कार्यवाहियां **बी0एस0 जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य (2003)4 एस0सी0सी0 675; निखिल मर्चेट बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो [(2008)9 एस0सी0सी0 677]; मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य (2008)16 एस0सी0सी01;** **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012)10 एस0सी0सी0303; और नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पंजाब राज्य (2014)6 एस0सी0सी0 466में प्रतिवेदित शीर्ष न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में अपास्त किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, मुकदमा अपराध सं0 72/2021, अन्तर्गत धारा 147, 323, 325, 504, 148, 308, 506 भा0दं0वि0, पुलिस थाना- टांडा, जनपद-अम्बेडकर नगर से उद्भूत सत्र विचारण सं0 72/2021 की कार्यवाहियां एतद्वारा रद्द की जाती हैं।

समझौता-विलेख इस आदेश का ही भाग होगा।

आनुषंगिक परिणाम लागू होंगे।

यह प्रार्थना-पत्र तदनुसार स्वीकृत किया जाता है।

मार्च 26, 2026

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

ए के एस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।